# कार्यालय आयुक्त आबकारी
## आबकारी भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर
**(www.excise.cg.nic.in Contact no. 0771-2970158)**

क्रमांक / आब. / स्टोर / निविदा / 2016 / 3419 रायपुर, दिनांक– 22/07/16.

कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता एवं संभाग स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर के लिए 02 वाहन एवं बिलासपुर कार्यालय के उपयोग हेतु 01 वाहन ट्रेवल एजेंसियों से टाटा सूमो/बोलेरो वाहन किराये पर लिये जाने हेतु **दिनांक 08.08.2016 सांय 03:00 बजे** तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है एवं **दिनांक 08.08.2016 को समय 03:30** बजे निविदा खोली जावेगी। प्रथम चरण में लिफाफा **"ब"** खोली जावेगी। उपयुक्त पाये जाने पर द्वितीय लिफाफा **"अ"** खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय संबंधित निविदाकर्ता/ट्रेवेल ऐंजेंसी के अधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है।

अमानत राशि 25,000/– (एफ.डी.आर. के रूप में) एक वर्ष की वैधता के साथ एफ.डी. आर. आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से बनाया जाना है।

**लिफाफा** अ :– वित्तीय आफर

ब :– अमानत राशि

लिफाफा **अ** तथा **ब** अन्य लिफाफा में बंद कर, कार्यालय आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के नाम से **दिनांक 08.08.2016 सांय 03:00 बजे** तक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे।

**– :: शेड्यूल :: –**

| क्रमांक | विवरण | ईकाई का नाम | दर (अंको एवं शब्दों में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | टाटा सूमो | बोलेरो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कार्यालय आयुक्त आबकारी, मुख्यालय रायपुर हेतु वर्ष जुलाई 2015 या इसके बाद निर्मित नया टाटा सूमो/बोलेरो किराये पर लिया जाना है। वाहन का टैक्सी परमिट होना चाहिए। किराये हेतु वाहन अच्छी कंडीशन में एवं अच्छे क्वालिटी का सीट कव्हर, फूट मैटिंग इटीरियर्स आदि से युक्त होना चाहिए। किराये में लिये जाने वाले वाहन आर.टी.ओ. से पंजीकृत होना चाहिये तथा इसका काम्प्रीहेन्सिव बीमा होना चाहिये। किराये से लिये गये वाहन का बीमा, वाणिज्यिक कर, वार्षिक मरम्मत, वाहन चालक का वेतन, ईंधन/ल्यूब्रीकेट का व्यय, मरम्मत व रख रखाव आदि की देयता ट्रेवल एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। | | | |
| 2 | अ. प्रथम 2500 किलो मीटर हेतु मासिक दर<br>ब. 2500 किलो मीटर से अधिक हेतु दर (प्रति किलोमीटर)<br>स. 2500 किलोमीटर से कम चलने पर दर में कटौती (कटौती की राशि रूपये में) | | | |

**नियम व शर्ते**

1. निविदा, शर्ते एवं फार्म प्राप्त करने हेतु 100/- शासकीय हेड-0039 राज्य उत्पाद शुल्क एवं 800 विविध प्राप्तियॉं में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करते हुये, कार्यालयीन अवधि में स्टोर शाखा से प्राप्त कर सकता है।
2. किराये में लगने वाले वाहन में पेट्रोल/डीजल, वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
3. वाहन मुख्यालय पर रहने पर मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
4. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा शुल्क एवं अन्य सभी प्रकार के शासकीय शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का परमिट फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये।
5. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा। वाहन चालक के पास वैद्य लायसेंस का होना अनिवार्य है तथा उसे 05 वर्ष का वाहन संचालन का अनुभव, व्यवहारकुशल, आज्ञाकारी होना चाहिये।
6. वाहन की मरम्मत रख-रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख-रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरा वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी। वाहन के दुर्घटना होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।
8. कतिपय परिस्थितियों के कारण वाहन हटाने के लिए वाहन आबकारी आयुक्त सक्षम होंगे। वाहन चालन की सीमा क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।
9. भुगतान प्राप्त करने हेतु देयक की तीन प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। टैक्स की कटौती शासन के नियामानुसार आपके देयक भुगतान से किया जावेगा।
10. वाहन रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार आयुक्त आबकारी का होगा। विभाग के द्वारा वाहन अनुबंध को 15 दिन पूर्व सूचना दिया जाकर बिना कारण बताये निरस्त कर सकेगा।
11. निविदाकर्त्ता के पास स्वंय के कम से कम 05 वाहन होना अनिवार्य है। वाहन के पंजीयन क्रमांक व निर्माण की सूची दी जाये।

**आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित**

अपर आयुक्त आबकारी,
छत्तीसगढ़ रायपुर,

**कार्यालय आयुक्त आबकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर.**

क्रमांक / आब. / स्टोर / 2016 / 3423 रायपुर, दिनांक– 22/07/16

**किराये पर वाहन हेतु निविदा सूचना**

कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता एवं संभाग स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर के लिए 02 वाहन एवं बिलासपुर कार्यालय के उपयोग हेतु 01 वाहन ट्रेवल एजेंसियों से टाटा सूमो / बोलेरो वाहन किराये पर लिये जाने **हेतु दिनांक 08.08.2016 सांय 03:00 बजे** तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट **www.cgstate.gov.in** एवं कार्यालयीन वेबसाईट **www.excise.cg.nic.in** पर देखी जा सकती है।

अपर आयुक्त आबकारी,
छत्तीसगढ़ रायपुर,